पत्र उपस्थिता वादी की साक्ष उपस्थित नहीं हैं अंतिम अवसर दिया जाता हैं पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दि० 11.11.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 11-11-19
आज पत्रावली पेश हुई है। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पी.ओ. साहब निर्वाचन कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-12-19 को पेश हो।

दिनांक 11–12–19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादीगण की साक्ष्य उपस्थित नहीं है। वकील वादी साक्ष्य के लिये समय चाहते है। न्याय हित में एक अंतिम मौका ओर दिया जाता है। अन्यथा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण दिनांक 13–12–19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

दिनांक 13–12–19

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय उपस्थित। वादीगण को पूर्व में साक्ष्य के लिये पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। वादीगण की आज भी साक्ष्य उपस्थित नहीं है। वकील वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये कहा गया तो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

कार्यवाही ... बनाम दिनेश वगैरा बनाम मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण वादीगण की साक्ष्य में दिनांक 12–09–19 से लम्बित है तथा वादी को साक्ष्य के लिये दिनांक 12–09–19 से दिनांक 13–12–19 तक 6 अवसर दिये गये। तत्पश्चात दिनांक 22–10–19 व 11–12–19 को अंतिम मौका दिया गया। किन्तु वादीगण साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है। वादीगण को साक्ष्य के लिये ओर अवसर देने का कोई औचित्य नहीं है तथा प्रकरण में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है। अतः वादी की साक्ष्य बन्द की जाती है तथा वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 17, नियम 3 जा.दी. में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी महवा (जिला दौसा)	